REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिंस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1137]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 2012/ज्येष्ठ 28, 1934
No. 1137]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 2012/JYAISTHA 28, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

का.आ. 1360(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्न्तिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं.11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात्:-

"1 1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [किमी 0.00 से किमी 592.0 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा) तथा किमी	कर्नाटक राज्य
	216.914 से किमी 318.000 (बंगलौर-होसकोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर],	सरकार"
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए (किमी 0.000 से किमी 84.120 (बेलगाव-गोवा/कर्नाटक सीमा) तक खंड को	
	छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.13 [किमी 102.00 से किमी 299.000	
	(बीजापुर-हुन्गुन्ड-होस्पेट खंड) तथा किमी 743.900 से किमी 745.000 (मरोली जंकशन से ननत्र	
	खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं.17 [किमी 3.700 से किमी 17.200 तक, किमी	
	93.700 से किमी 376.700 तक (गोवा/कर्नाटक सीमा-कुंदारपुर-सूरतकल-ननतूर-मंगलौर)कर्नाटक/केरल	
	सीमा) खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [किमी 28.200 से किमी 189.500 (राष्ट्रीय	
	राजमार्ग 48 के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली से हसन तक) तथा	
	किमी 328.000 से किमी 345.000 (बीसी रोड से पाडिल जंकश्रन) तक खंड को छोड़कर],राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं.63, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.206, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207 [किमी	
	58.300 से किमी 139.180 (होसकोटे-दोब्बासपेट खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	
	209, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.218 (बीजापुर से शुरू होकर जेवारगी-गुलबर्ग को	
	जोड़ते हुए होमनाबाद के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाले	
	एक्सटेशन सहित) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234 का उतला भाग जितना कर्नाटक राज्य में अवस्थित	
		•

[फा. सं. एनएच-14013/3/2011-पीएंडएम] माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को स. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन संख्या का.आ. 453 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012 द्वारा किया गया था ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 1360(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to the said notification, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

" 11.	So much of National Highway No.4 [excluding from Km.	State
LT.	0.0 to Km. 592.0 (Bangalore to Karnataka	Government
· · ·	/Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to	of
	Km.318.000 (Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra	Karnataka".
	Pradesh Border)], National Highway No.4A [excluding	
	from km.0.000 to km.84.120 (from Belgaum-	·· .
	Goa/Karnataka Border)], National Highway No.9,	
	National Highway No.13 [excluding from Km. 102.00 to	
	Km. 299.000 (Bijapur-Hungund-Hospet section) and	4
	from Km. 743.900 to Km.745.000 (Maroli Junction to	
	Nanthoor Junction]], National Highway No.17	
	[excluding from Km. 3.700 to Km. 17.200, Km. 93.700	
	to Km. 376.700 (Goa/Karnataka Border-Kundarpur-	
	Surathkal- Nanthoor- Mangalor- Karnataka / Kerala	
	Border)], National Highway No.48 [excluding from Km.	
	28.200 to Km. 189.500 (Nelamangala Junction on	
	National Highway 4 with National Highway 48 to	
	Devihalli to Hassan) and from Km.328.000 to	
	Km.345.000(B.C Road to Padil junction)], National	
	Highway No.63, National Highway No.67, National	
	Highway No.206, National Highway No.207(excluding	
	Km.58.300 to Km.139.180 (Hoskote-Dobbaspet	
	Section)), National Highway No.209, National Highway	
	No.212, National Highway No.218 (including extension	
	from Bijapur and connecting Jevargi-Gulbarga and	
	terminating at its junction with National Highway 9	· ·
	near Homnabad) and National Highway No. 234 as are	
	situated within the State of Karnataka.	1/012/2/2011 D&M1

[F. No. NH-14013/3/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note :— The principal notification was published vide No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 453(E), dated the 16th March, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

का.आ. 1361(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 की द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के क्रमश: स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट सेक्शन के, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट सड़क खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	किमी में सड़क खंड
(1)	(2)	(3)	(4)
		कर्नाटक राज्य में	किमी 93.700 से किमी 283.300
17	66	गोवा/कर्नाटक सीमा - कुंदापुर	
		खंड	किमी 58.300 से किमी 139.180
207	648	होस्कोटे-दोब्बासपेट खंड	
	/ · ·		फिर सं प्रनाच-14013/3/2011-पीएंडएम]

[फा. सं. एनएच-14013/3/2011-पीएडएम] माया प्रकाश, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 1361(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (4) of the Table below, of the section as specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the Old National Highway Number and the New National Highway Number as specified in the corresponding entry in column (1) and (2) respectively of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

IADLL	T	A	B	L	ε,
-------	---	---	---	---	----

(2)	(3)	(4)
	·····	(4)
66	Goa/Karnataka Border- Kundapur Section	From Km. 93.700 to Km. 283.300
648	Hoskote-Dobbaspet Section in the State of Karnataka.	From Km. 58.300 to Km. 139.180
		Kundapur Section 648 Hoskote-Dobbaspet Section in the State of

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 3